उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-159/2018/2538/92-2-2018-79जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 02 नवम्बर , 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मेरठ में वर्ष 2013-14 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओ की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-181/2017/ 1891/92-2-2017-79जांच/2015 दिनांक 13-10-2017 द्वारा श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गौतमबुद्ध नगर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ के पत्र संख्या-2343/ग्रा0अ0वि0/अनु0का0/लो0ग्रा0-गौ0बु0नगर/17-18 दिनांक 28-03-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ की जांच आख्या दिनांक 28-03-2018 में अपचारी अधिकारी, श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव पर अधिरोपित मात्र एक आरोप स्थापित नही पाया गया परन्तु शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी को प्रश्नगत निर्माण कार्य में शासकीय क्षति कर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-1637/92-2-18-79जांच/2015 दिनांक 29-06-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र संख्या-157/ग्रा0अ0वि0/2018-19 दिनांक 10-08-2018 के माध्यम से शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गौतमबुद्ध नगर सम्प्रति प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध आरोप सिद्ध न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-10-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-159/2018/2538/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गौतमबुद्ध नगर सम्प्रति प्रखण्ड-बागपत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।